कार्यालय
प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा,
वन विभाग, हरियाणा सरकार,

सी–18, वन भवन, सैक्टर 6, पंचकुला, दूरभाष/फैक्स +91 172 2563988, 2563861, E-mail: cffcpanchkula@gmail.com

क्रमांक: प्रशा–डी–तीन–7068/ 205 दिनांक: 18-4-17

सेवा में

वन संरक्षक, पश्चिमी परिमण्डल,
हिसार ।

विषय: Diversion of 0.12 ha. of forest land in favour of Executive Engineer, Provincial Division, PWD B&R Br., Jind for speical repair of Ramrai to Baganwala road, under forest division and District Jind, Haryana.
Online Proposal No.FP/HR/Road/24681/2017
संदर्भ: आपका पत्र कमांक 69 दिनांक 12–4–2017 ।

कृपया उपर्युक्त विषय पर संदर्भांकित पत्र का अवलोकन करें जिसमें वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा 2 के अधीन अनुमति मांगी गई है ।

2. सरकार द्वारा जारी आदेश कमांक 1670–व–2–2016/8430 दिनांक 6–5–2016 की अनुरूपता में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा, पंचकुला के कार्यालय स्तर पर इस प्रस्ताव का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने के पश्चात् उपर्युक्त उद्देश्य हेतु 0.12 हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग के लिए सक्षम प्राधिकारी की सहमति/स्वीकृति उपरान्त सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों को पूर्ण करने पर प्रदान की जाती है :–

(i) प्रयोक्ता एजैन्सी से स्कीम के अनुसार प्रतिपूर्ति पौधारोपण की राशि जमा करवाई जाए ।

(ii) माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 30–10–2002, 28–3–2008 एवं 9–5–2008 तथा पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के निर्देश संख्या 5–3/2007–एफ0सी0, दिनांक 5–2–2009 के अनुसार प्रयोक्ता एजैन्सी से प्रस्तावित वन भूमि की नैट प्रैजेन्ट वैल्यु जमा करवाई जाए ।

(iii) प्रयोक्ता एजैन्सी पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की website http://forestsclearance.nic.in या http://efclearance.nic.in के माध्यम से चालान जनरेट करके अपेक्षित राशि जमा करवाएगी ।

उपर्युक्त शर्तों की अनुपालना रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए तथा अन्तिम अनुमति दिए जाने तक वन भूमि पर कार्य नहीं किया जाना चाहिए ।

नोडल आफिसर एवं वन संरक्षक (एफ0सी0)
कृते: प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा,
पंचकुला ।

18-4-17

प्रतिलिपि :–

1. वन मण्डल अधिकारी, जीन्द ।
2. Executive Engineer, Provincial Division, PWD B&R Br., Jind.